

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:- एफ:1 (A)() राईस/सस्थापन/अम्बेडकर पंचतीर्थ/2024/

दिनांक:-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जीवनी से जुड़े पंचतीर्थों के भ्रमण योजना के दिशा-निर्देश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 के संकल्प पत्र के बिन्दु 7.36 "हम अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अम्बेडकर तीर्थ स्थल यात्रा योजना शुरू करेंगे, जिसके अन्तर्गत हम बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जीवनी से जुड़े पंचतीर्थों के भ्रमण का प्रावधान करेंगे" की पालना में यात्रा हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1	योजना का नाम	डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जीवनी से जुड़े पंचतीर्थों के भ्रमण योजना।
2	योजना प्रारंभ वर्ष	वर्ष 2025
3	योजना का उद्देश्य व संक्षिप्त विवरण	इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी व्यक्तियों को उनके जीवन काल में एक बार देश में स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है।
4	तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि	इस योजनान्तर्गत आयोजित की जाने वाली यात्रा में होने वाला समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
5	योजना में कुल लाभार्थियों की विभागीय सीमा	बस/रेलमार्ग/वायुयान से यात्रा करवाये जाने हेतु यात्रियों की संख्या का निर्धारण निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में समिति की बैठक के उपरान्त प्रतिवर्ष निर्धारित की जाएगी। उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे -
1	निदेशक, सान्याअवि	अध्यक्ष
2	अति.निदेशक, सतर्कता एवं प्रशासन, सान्याअवि	सदस्य
3	अति.निदेशक, एससीएसपी, सान्याअवि	सदस्य
4	वित्तीय सलाहकार, सान्याअवि	सदस्य
5	जिलाधिकारी (जयपुर शहर), सान्याअवि	सदस्य
6	उपनिदेशक, एससीएसपी, सान्याअवि	सदस्य-सचिव

6	तीर्थ स्थानों की सूची	<p>पंचतीर्थ यात्रा हेतु देश में स्थित स्थान निम्न प्रकार है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जन्म भूमि- जन्मस्थान, महु। 2. दीक्षा भूमि- बौध धर्म अपनाने का स्थान- नागपुर। 3. महापरिनिर्वाण भूमि- निघन का स्थान- दिल्ली- हलीपुर। 4. चैत्य भूमि- श्मशान स्थल- मुंबई- इन्दुमिल। <p style="text-align: center;">जयपुर से पंचतीर्थ स्थलों की दूरी</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">क्र.सं.</th> <th style="width: 60%;">स्थान</th> <th style="width: 30%;">किलोमीटर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>जयपुर से दिल्ली (हलीपुर)</td> <td>319</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>दिल्ली से मध्यप्रदेश (महु)</td> <td>816</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>मध्यप्रदेश (महु) से नागपुर मुम्बई</td> <td>722</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>नागपुर मुम्बई से इन्दुमिल मुम्बई</td> <td>558</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>इन्दुमिल मुम्बई से जयपुर</td> <td>1181</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">कुल</td> <td>3596</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	स्थान	किलोमीटर	1	जयपुर से दिल्ली (हलीपुर)	319	2	दिल्ली से मध्यप्रदेश (महु)	816	3	मध्यप्रदेश (महु) से नागपुर मुम्बई	722	4	नागपुर मुम्बई से इन्दुमिल मुम्बई	558	5	इन्दुमिल मुम्बई से जयपुर	1181		कुल	3596
क्र.सं.	स्थान	किलोमीटर																					
1	जयपुर से दिल्ली (हलीपुर)	319																					
2	दिल्ली से मध्यप्रदेश (महु)	816																					
3	मध्यप्रदेश (महु) से नागपुर मुम्बई	722																					
4	नागपुर मुम्बई से इन्दुमिल मुम्बई	558																					
5	इन्दुमिल मुम्बई से जयपुर	1181																					
	कुल	3596																					
7	यात्रा पर जाने के लिये पात्रता	<p>योजना के अन्तर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. आयकरदाता न हो। 3. इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने संबंधी आशय का स्वः घोषणा पत्र यात्री को देना होगा। 4. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा कोविड-19, स्वायनपलू, टी.बी., कांजेस्टिव, कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, Coronary अपर्याप्ता, Coronary thrombosis मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो, इस आशय का स्वघोषित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 5. चयनित यात्रियों में से किसी कारणवश कोई यात्री, यात्रा नहीं कर पाने की स्थिति में रिक्त हुई सीटों पर प्रतीक्षा सूची में से चयन का अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को होगा। 																					
8	निर्हरता (अपात्रता)	<ol style="list-style-type: none"> 1. यदि यह पाया गया कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या किसी ऐसे तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है जो उसे अन्यथा यात्रा हेतु अयोग्य बता देते हैं तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा। 2. ऐसा व्यक्ति जिसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इस योजना में पूर्व में यात्रा कर रखी हो या जिसका चयन हो जाने के बावजूद स्वैच्छिक रूप से यात्रा पर नहीं गया हो तो वह व्यक्ति संबंधित वर्ष में यात्रा हेतु अपात्र 																					

		होगा।
9	आवेदन की प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन स्वीकार किये जाएंगे। 2. ऑफलाईन यात्रा आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला/ब्लॉक कार्यालय में किये जाने की सुविधा होगी। 3. आवेदक के पास आधार/जनआधार कार्ड अवश्य होना चाहिए।
10	आवेदन व पात्रता संबंधी अन्य मुख्य शर्तें व प्रावधान	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक को आवेदन में किन्हीं दो नाम निर्देशितियों के नाम, मोबाइल नम्बर एवं अन्य विशिष्टियों का विवरण भी देना होगा, जिनसे किसी आपात स्थिति में उनसे तुरन्त संपर्क किया जा सके। 2. यात्रियों का चयन जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। चयनित यात्रियों की सूची जिला कलेक्टर कार्यालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय व वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। 3. चयन के उपरान्त यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थ यात्रा नहीं करता, तो उसे विभाग को सूचित करना आवश्यक है, अन्यथा उसे भविष्य में इस योजना हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
11	चयन की प्रक्रिया	<p>यात्रियों का चयन जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्न लिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जावेगा :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उक्त यात्रा हेतु जिलावार कोटा निर्धारित किया जायेगा, जिसमें आवेदकों की संख्या के साथ उस जिले की जनसंख्या के अनुपात को अधिभार देते हुए कोटा निर्धारित किया जायेगा, यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो लॉटरी (कम्प्यूराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स)/अन्य तरीकों द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा, जो मूल चयन सूची होगी। कोटे के 100 अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) भी बनायी जायेगी। शेष अन्य पात्र आवेदकों की भी 100 यात्रियों अतिरिक्त आरक्षित सूची (Additional Waiting List) भी बनायी जा सकेगी। 2. चयन सूची में मूल चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची/अतिरिक्त आरक्षित सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। 3. चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से जो उचित समझे जाए, प्रसारित किया जायेगा।

		<p>4. केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा।</p>
12	यात्रा की प्रक्रिया	<p>यात्रा की सामान्य प्रक्रिया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, अम्बेडकर पंचतीर्थ योजना अन्तर्गत प्राप्त पात्र आवेदनों में से चयनित यात्रियों की सूची तैयार की जावेगी। 2. विभिन्न जिलों द्वारा तैयार सूची निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एकजाई की जाएगी। 3. विभाग द्वारा यात्रा हेतु अधिकृत ऐजेन्सी/संवेदक को उक्त चयनित यात्रियों की सूची सौंपी जायेगी। 4. निर्धारित ऐजेन्सी/संवेदक यात्रियों के समूह को यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी। 5. यात्रियों के यात्रा का समुचित व्यय एवं उन्हें उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 6. यात्री अपने निवास स्थल से विभाग द्वारा यात्रा प्रारंभ हेतु निर्धारित स्थान पर अपने व्यय से पहुंचेगा तथा विभाग के निर्धारित काउंटर पर रिपोर्ट करेगा। 7. यात्रियों के साथ अनुरक्षक (एस्कॉर्ट) के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/राजकीय निगम/मण्डल/आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी भेजा जा सकेगा। उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक ट्रेन में एक राजपत्रित अधिकारी ट्रेन प्रभारी के रूप में लगाया जायेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रूप से अपने विभागीय कार्मिक ट्रेन प्रभारी भी लगाये जा सकेंगे। 8. एक बार यात्रा शुरू करने पर यात्री यदि बीच में यात्रा छोड़ना चाहेगा, तो परिस्थितियों में यात्रा बीच में छोड़ना आवश्यक हो तो साथ में मौजूद प्रभारी अधिकारी की आज्ञा से अपने स्वयं के व्यय पर ऐसा करना अनुमत होगा। <p>हवाई जहाज द्वारा यात्रा :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यात्रियों के साथ अनुरक्षक (एस्कॉर्ट) के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा जायेगा। प्रत्येक हवाई यात्रा में 40 यात्रियों के समूह पर एक अधिकारी/कार्मिक अनुरक्षक के रूप में लगाया जायेगा। 40 से अधिक 80 यात्री तक के समूह में 2 अनुरक्षक तथा 80 से अधिक यात्री होने पर 3 अनुरक्षक लगाये जायेगें। उक्त अनुरक्षक यात्रा के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्धारित कन्ट्रोल रूप में उपस्थित अधिकारी/कार्मिक के सम्पर्क में रहेंगे तथा यात्रा पश्चात यात्रा की रिपोर्ट मय यात्रियों के फिडबैक आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त अनुरक्षक एक अनुरक्षक

		<p>ऐजेन्सी का भी यात्रा में साथ रहेगा। एक से अधिक अनुरक्षक कार्यरत् होने पर सबसे वरिष्ठ या विभाग द्वारा नामित अनुरक्षक प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। अनुरक्षक नियुक्ति में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का निर्णय अंतिम होगा। पर्यवेक्षक हेतु शासन द्वारा आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षक अधिकारी बनाये जा सकेंगे।</p> <p>नोट:- सभी तीर्थ यात्रियों को यात्रा हेतु निर्धारित प्रस्थान स्थल (बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट) तक स्वयं के व्यय से पहुंचना होगा।</p>
13	यात्रियों के समूह	यात्रा केवल सामूहिक रूप से आयोजित की जायेगी। उक्त समूहों को निर्धारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार अथवा सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत चयन होने मात्र से ही किसी व्यक्ति को यात्रा कराने हेतु राज्य सरकार बाध्य नहीं होगी।
14	अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने पर प्रतिबंध	केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन इस योजना के अन्तर्गत यात्रा हेतु किया गया है, इस यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को, भले ही वह यात्रा का व्यय देने हेतु तैयार हो, यात्रा में साथ नहीं ले जा सकेगा। ट्रेन एवं वाहनों में केवल चयनित व्यक्ति ही यात्रा करेगा और एक सीट/बर्थ पर केवल एक ही व्यक्ति यात्रा करेगा।
15	अतिरिक्त व्यय के संबंध में	यदि कोई यात्री, यात्रा के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों/सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधायें प्राप्त करना चाहता है तो उसका भुगतान उसे स्वयं कर अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
16	यात्रा के दौरान यात्रियों से अपेक्षाएँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. यात्री किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे। 2. यात्री तीर्थ की मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे, ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हों। 3. यात्री अपने निर्धारित सम्पर्क अधिकारी/प्रभारी अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे। 4. यात्रियों द्वारा उपरोक्त आचार संहिता के पालन करने संबंधी आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा। 5. यात्री को विभाग की निर्धारित व्यवस्था में सहयोग करना होगा तथा अनुशासन में सहयोग करना अपेक्षित होगा। कोई यात्री एसी हरकते नहीं करेगा जिससे साथी अन्य यात्री को असुविधा हो।
17	यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियाँ	यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य सरकार/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
18	योजना का व्यय	योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय (बजट सीमा तक) जिसमें यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक, मेन विथ मशीन तथा सॉफ्टवेयर विकास, व्यवसायिक एवं परामर्श सेवायें प्राप्त करना, सत्कार व्यय तथा यात्री बीमा व्यय

		आदि सम्मिलित हैं, करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे।																		
19	संचालन	योजना के दिन प्रतिदिन संचालन/मॉनिटरिंग हेतु एक राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जाएगी। जिसे योजना के संचालन हेतु आवश्यक प्रशासनिक शक्तियां होंगी। साथ ही योजना के प्रभावी एवं समय पर संचालन, प्रबंधन एवं फीडबैक हेतु एक PMU (Project Monitoring Unit) का गठन किया जायेगा, जिसका व्यय योजना की प्रशासनिक मद से अनुमत होगा।																		
20	तीर्थ यात्रा योजना हेतु जिला स्तर पर प्रबंध समिति	<p>उक्त यात्रा हेतु जिला स्तर पर चयन, लॉटरी एवं समुचित प्रबंध व्यवस्था हेतु राज्य सरकार एक समिति गठित करेगी जिसमें जिला स्तर के निम्न सदस्य सम्मिलित होंगे :-</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>जिला कलक्टर</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>पुलिस अधीक्षक/आयुक्त पुलिस के प्रतिनिधी</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग</td> <td>सदस्य सचिव</td> </tr> </table> <p>समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।</p>	1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष	2	पुलिस अधीक्षक/आयुक्त पुलिस के प्रतिनिधी	सदस्य	3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य	4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य	5	सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग	सदस्य	6	जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष																		
2	पुलिस अधीक्षक/आयुक्त पुलिस के प्रतिनिधी	सदस्य																		
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य																		
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य																		
5	सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग	सदस्य																		
6	जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव																		
21	तीर्थ यात्रा योजना हेतु जिला स्तर पर प्रबंध समिति के कर्तव्य	<p>जिला स्तरीय प्रबंध समिति निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी :-</p> <p>(अ) यात्रियों का चयन, लॉटरी एवं सूची की तैयारी का कार्य इसी समिति द्वारा किया जावेगा।</p> <p>(ब) यात्रा के दौरान आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी दलों की नियुक्ति।</p> <p>(स) यात्रियों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना।</p> <p>(द) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।</p> <p>(य) अन्य कार्य जो समय-समय पर राज्य सरकार/आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सौंपे जावें।</p>																		
22	अन्य	<p>1. उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं में प्रावधान होते हुए भी योजना के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुलभ कराने एवं प्रशासनिक निर्णय, जिसमें वित्तीय व्यय भी सम्मिलित है के लिये आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अधिकृत होंगे।</p> <p>2. पंचतीर्थ यात्रा हेतु आवेदन करने वाले यात्रियों की आय वर्ग की</p>																		

		सीमा, उम्र, महिला पुरुषों का अनुपात, यात्रा का माध्यम (हवाई जहाज/रेल/बस) एवं चयन के मापदण्ड आदि का निर्धारण राज्य सरकार/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।
23	योजना की समीक्षा	राज्य स्तर पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में समय-समय पर योजना की समीक्षा की जाएगी।

(कुलदीप रांका)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:- एफ:1 (A)0 राईस/सस्थापन/अम्बेडकर पंचतीर्थ/2024/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
7. जिला कलक्टर, समस्त.....।
8. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त.....।
10. पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त (मुख्यालय)।
11. जिलाधिकारी सान्याअवि राज0 समस्त.....।
12. अति. निदेशक, (एससीएसपी) सान्याअवि।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् समस्त.....।
14. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग समस्त.....।
15. रक्षित पत्रावली।

(कुलदीप रांका)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

Signature Not Verified

Digitally Signed by Kuldeep Ranka
Designation : Additional Chief
Secretary
Date :04-06-2025 11:14:14